प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री टी. पी..शर्मा एवं

माननीय श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीशगण

दंडिक अपील क्रमांक 1092 वर्ष 2004

अपीलकर्ता अशोक कुमार एवं अन्य।
(अभिरक्षा में)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

माननीय श्री टी.पी.शर्मा,न्यायाधीश

सही/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश

आदेश की घोषणा हेतु दिनांक 03.08.2020 को सुचिबध करे।

सही/
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

युगल पीठ: **माननीय श्री टी.पी.शर्मा एवं**
माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायाधीश.

दंडिक अपील क्रमांक 1092/2004

अपीलकर्ता 1. अशोक कुमार, पिता पल्टूराम धनकड़,

(अभिरक्षा में) उम्र लगभग 28 वर्ष,

2.राधा बाई, पति पलटूराम धनकड़,

उम्र लगभग 53 साल,

3. रामबाई, , पति चिंताराम धनकड़,

उम्र लगभग 29 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम सलना, चौकी बिश्रामपुरी,

केशकाल, जिला: बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट, जगदलपुर

(छ.ग.) के माध्यम से

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दंडिक अपील

उपस्थिति:

अपीलकर्ताओं की ओर से श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री नीरज कुमार मेहता, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक (30.08.2010 को पारित)

इस अपील में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर, स्थान जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकारण क्रमांक 151/2002 में पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2004 को दिए गए चुनौती निर्णय को दी गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को संतोषी बाई की हत्या के लिए मानव हत्या कि कोटि में आता है, के लिए दोषी ठहराते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया एवं व्यतिकर्म किए पर प्रत्येक अपराध के लिए 15 दिन की सश्रम कारावास की भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.दोषसिद्धि को आधार पर चुनौती दी गई है कि विश्वसनीय, निर्णायक और कानूनी साक्ष्य के बिना, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई और इस प्रकार अवैधता की।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दिनांक 27.11.2001 को उदेराम आ. सा.2 को सुखलाल नामक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि उदेराम की पुत्री संतोषी बाई की पेट दर्द से मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर उदेराम आ. सा.2 अपनी पुत्री के ससुराल सैना गांव गए। देहाती मर्ग की सूचना दिनांक 27.11.2001 को प्र.पी.9 के जरिए पुलिस चौकी बिश्रामपुरी में दर्ज की गई। जिसके आधार पर पुलिस स्टेशन बिश्रामपुरी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.20 दर्ज की गई। आरोप है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 अशोक कुमार के साथ विवाह के बाद मृतका संतोषी बाई को पर्याप्त दहेज न लाने के कारण क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आरोप यह भी है कि एक-दो बार मृतका को अपने पति (अपीलकर्ता क्रमांक 1) के पति, ननद और सास द्वारा असहनीय उत्पीड़न के कारण अपने मायके आना पड़ा। यह भी

आरोप लगाया गया है कि मृत्यु के 8-10 दिन पहले, मृतका भंडार पारा से कांकेर आई थी और उस समय वह गर्भवती थी अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल से चले गए और गहन जाँच के बाद,आवश्यक पूछताछ के लिए प्र.पी.11-ए के तहत गवाहों को बुलाया। पुनः प्र.पी.18-ए के तहत मर्ग सूचना दर्ज की गई। प्र.पी.22 से प्र.पी.24 तक, अभियुक्तों को अभिरक्षा में लिया गया। शव को प्र.पी.12 के तहत शव परीक्षण के लिए भेजा गया। शव परीक्षण के बाद, डॉ. जी.आर. धनेलिया और डॉ. डी.के. कृष्णन की टीम ने, जिन्होंने संतोषी बाई के शव का पोस्टमार्टम किया,

निम्नलिखित चोटें पाईं:

1) बायीं कोहनी के पीछे घर्षण.

2) बायीं निचली भुजा के पीछे घर्षण।

3) गर्दन में सूजन, बायीं ओर नौ की संख्या में अर्धचंद्राकार खरोंचें और नाखून के आकार का निशान।

4) गर्दन के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर खरोंच के साथ चोट का निशान। चोट वाला भाग 1 x 1 सेमी.

5) चेहरे के बायीं ओर 2 x 2 सेमी माप का चोट का निशान।

6) दाहिनी जांघ के बाहरी भाग पर 2 x 2 सेमी माप का चोट का निशान।

7) बायीं जांघ के बाहरी भाग पर 1 x 1½ सेमी माप का चोट का निशान।

गर्दन पर लगी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की हैं। जांघ पर लगी चोट दाएँ और बाएँ भी मृत्युपूर्व प्रकृति के हैं।बाएँ भाग पर घर्षण दाएं और बाएं कोहनी पर भी घर्षण पूर्व-मृत्यु प्रकृति का है। बाएं कोहनी के पिछले हिस्से पर घर्षण भी पूर्व-मृत्यु प्रकृति का है।मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था तथा मृत्यु मानवध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'द कोड') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। अन्वेषण पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया,जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को उपबंधित कर दिया। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ l

5. अपीलकर्ताओं का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों परीक्षण कराया है की। अभियुक्त /अपीलकर्ताओं की धारा 313 के तहत भी कथन दर्ज की गई,जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही और झूठे आरोप में फँसे होने का दावा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

7. अपीलकर्ताओं तथा प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने दृढ़ता से तर्क दिया कि पीड़िता के पिता उदेराम आ. सा. 2 और देवकी बाई आ. सा.3 के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि

उन्होंने अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है क्योंकि मृत्यु से पहले उन्हें अपनी बेटी की मौत पर किसी के प्रति कोई संदेह नहीं था और उसके बाद वह अपने बयान से पलट गए। अपीलकर्ताओं को घटना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ताओं ने स्वयं संतोषी की मृत्यु की सूचना दी थी और दाह संस्कार के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

जिससे पता चलता है कि मृतका की मृत्यु जमीन पर गिरने के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष का मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है क्योंकि डॉ. बी.आर. धनेलिया आ. सा. 5 ने स्वीकार किया कि उन्हें श्वासनली में कोई फ्रैक्चर नहीं मिला और न ही मृतका के हाथ टूटे हुए पाए गए। अपना मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक था कि मृतका की मृत्यु हो गई गला घोंटने के कारण हुई और गला घोंटने की स्थिति में श्वास नली और श्वासनली टूटी हुई अवस्था में होनी चाहिए थी, लेकिन मृतक की श्वासनली टूटी हुई नहीं पाई गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि संदेह प्रबल और ठोस होना चाहिए और यह विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता । इन आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस विपरीत प्रत्यार्थी /राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं की सजा आ. सा.2 उदेराम, प्रकार की 3 देवकीबाई, बी. कौशिक आ. सा.7, डॉ. जी.आर. धनेलिया आ. सा.5 और जरहुराम प्रकार की आ. सा.8 के साक्ष्य पर आधारित है और इन गवाहों के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि अपीलकर्ता ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने संतोषी की उनके घर पर हत्या की थी।

10.पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, मृतका संतोषी की गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई मानवध और मृत्यु की प्रकृति

मानवध प्रकार की थी, इस बात पर अपीलकर्ताओं की ओर से कोई विवाद नहीं किया गया है, जबकि डॉ. जी.आर. धनेलिया (अ.वा.) 5 के साक्ष्य और शव

परीक्षण रिपोर्ट प्र.प.12 से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु गला घोंटने और दम घुटने के कारण हुई थी और मृत्यु की प्रकृति हत्यारी थी।

11. जहां तक संबंधित अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का सवाल है, मृतक के पिता उदेराम आ. सा.2, मृतक की मां श्रीमती देवकी बाई और मृतक के चाचा बिसम्बर आ. सा.4 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक संतोषी बाई का विवाह यहां अपीलकर्ता क्रमांक 1 अशोक कुमार से हुआ था। अपीलकर्ता क्रमांक 2 और 3 यानी राधा बाई और रामबाई सास और ननद हैं। सभी अपीलकर्ता मृतक की अशोक कुमार से शादी के बाद पर्याप्त दहेज नहीं लाने पर संतोषी बाई को पीटते थे। असहनीय यातना ने उनकी बेटी को अक्सर उनके घर आने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने गवाही दी कि मामले की शिकायत की गई और उसके बाद समझौता हुआ। हालांकि यह मामला भ.द.स. की धारा 304-बी के तहत नहीं बल्कि भ.द.स की धारा 302 ख के तहत है अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों का उपशय संतोषी बाई को इस दुनिया से मिटा देना है, इसलिए अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने संतोषी बाई की हत्या की साजिश पहले से ही रची हुई थी और संतोषी की हत्या करने के बाद उन्होंने संतोषी बाई की मौत को स्वाभाविक दिखाने की कोशिश की, यानी उसकी मौत पेट दर्द से हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.अभियोजन पक्ष ने बी. कौशिक आ. सा.7 और जरहूराम पी.डब्लू.8 स का परीक्षण कराया गया की। उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना मध्यरात्रि में लगभग 12.30 बजे हुई थी। बी. कौशिक आ. सा.7 के साक्ष्य से पता चलता है कि भागवत और चमन नामक व्यक्ति उसके पास आए और कहा कि मध्यरात्रि में 12.30 बजे संतोषी बाई चक्कर आने के कारण गिर गई। वह तुरंत संतोषी बाई को देखने गई। उसने आगे गवाही दी कि उसने संतोषी बाई की जांच की और पाया कि वह पहले ही मर चुकी

है। उसके अनुसार, रामबाई अपीलकर्ता संख्या 3 ने उसे बताया कि संतोषी ने उसकी उंगली काट ली थी। उसने यह भी कहा कि मृतक की ननद और सास रामबाई और राधाबाई ने उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था पी.डब्लू.8 जरहूराम ने अपनी गवाही में कहा कि उसे मृतका के पति अशोक कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी चक्कर आने के कारण गिर गई है, इस पर वह अशोक कुमार के घर गया। पी.डब्लू.7 बी. कौशिक वहां मौजूद थे। पी.डब्लू.7 बी. कौशिक की गवाही पी.डब्लू.8 जरहूराम की गवाही से समर्थित है। बाद में, पी.डब्लू.7 बी. कौशिक को पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया और पी.डब्लू.9 सुखलाल को भी। हालांकि उन्हें पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं के घर पहुंचने के बाद संतोषी बाई के मृत पाए जाने से संबंधित उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी पी.डब्लू.10 एम.आर. निर्मल की गवाही से यह भी स्पष्ट है कि राधाबाई ने उन्हें बताया कि मृतका ने उसकी उंगली काट ली थी, लेकिन उससे पहले उसने बताया था कि उसकी उंगली में चोट दरवाजे पर दबाव डालने के कारण लगी थी। राधाबाई और रामबाई की भी डॉ.जी.आर. धनेलिया ने जांच की, जिन्होंने कहा कि उनकी उंगलियों में लगी चोट दांतों के काटने के कारण हो सकती है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि घटना दिनांक को रात्रि में हाथापाई हुई थी और उस हाथापाई के दौरान जब उन्होंने मृतक को मारने का प्रयास किया, तो यह संभव है कि मृतक ने दांतों से काटकर उनकी अंगुलियों में चोट पहुंचाई होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.बचाव पक्ष के गवाह कमला बाई वी. सा.1 और देवचंद वी. सा.2 ने बताया कि मृतका की मृत्यु पेट दर्द के कारण हुई थी और उनके अनुसार मृतका स्वयं गिर गई थी और छटपटा रही थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई जबकि शव-परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 के अनुसार, मृतक की गर्दन, चेहरे और कान पर चोटें थीं और खून निकल रहा था। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्र.पी.12 के अनुसार, गर्दन पर चोटें पाई गईं और डॉक्टरों ने अपनी राय दी है कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी और मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी। इसलिए, बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वह सही है उन्हें अविश्वसनीय गवाह पाया है।

14.यह स्पष्ट है कि संतोषी बाई की हत्या करने की अभियुक्तगण को उपशय इसलिए उभर कर आई क्योंकि शादी के बाद से ही अभियुक्तगण संतोषी बाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे कारण कुछ भी हो। यह भी स्पष्ट है कि 7-8 महीने के गर्भ से पल रही संतोषी बाई को गला घोंटकर घायल किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता भी सात्विक रूप से मौजूद है। साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि मृतका ने अपीलकर्ता क्रमांक 2 और 3 की उंगलियों को अपने दांतों से काटकर चोट पहुंचाई, जिससे यह भी पता चलता है कि उनके बीच हाथापाई हुई होगी और खुद को बचाने के लिए उसने दांतों से काटकर चोटें पहुंचाई होंगी। शव-परीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृतका संतोषी बाई की मौत गला घोंटने से हुई थी और यह मौत हत्या की प्रकृति की थी। यह स्पष्ट है कि हालांकि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की थी कि मृतका की मृत्यु स्वाभाविक थी क्योंकि उसकी मृत्यु पेट दर्द से हुई थी लेकिन डॉ. जी.आर. धनेलिया आ. सा.5 की शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी.12 में यह सामने आया कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी। अगर यह मान भी लिया जाए कि मृतका की मृत्यु गिरने से हुई है तो डॉ. जी.आर. धनेलिया आ. सा.5 ने उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान जैसी कई चोटें कैसे देखीं? इस प्रकार, सही तथ्य को दबाने के लिए अपीलकर्ताओं ने पुलिस को गुमराह किया है। डॉ. जी.आर. धनेलिया आ. सा.5 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गर्दन पर कई चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं। अपनी प्रतिपरीक्षण में उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि निश्चित रूप से गर्दन को दबाने पर श्वासनली की हड्डी टूट सकती है। इस प्रकार, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यदि मृतक का गला घोंटा गया था, तो श्वासनली की हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई, बेबुनियाद है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सही ही कहा है। 15. बचाव पक्ष के अनुसार, मृतका प्राकृतिक उपचार के लिए रामबाई के साथ गई थी और लौटते समय मृतका पेट दर्द के कारण गिर गई और उसे चक्कर आने लगे और उसके बाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रामबाई उसे अपने घर ले आई। यदि इस साक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, तो डॉक्टरों की टीम के साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं होगा क्योंकि डॉक्टरों द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे जिससे पता चलता है कि मृतका को उसके घर लाते समय या उनके घर में कुछ हुआ होगा। यह भी स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के घर में हुई थी। यह एक विशेष परिस्थिति है और यह अभियुक्तों के ज्ञान में होनी चाहिए, इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, अपीलकर्ता इस तथ्य को साबित करने के लिए बाध्य थे कि मृतका को चोटें कैसे आईं और उसकी मृत्यु कैसे हुई। अपीलकर्ता इस तथ्य को साबित करने के लिए भी बाध्य थे कि उसकी गर्दन पर मृत्यु-पूर्व चोटें कैसे पाई गईं। त्रिमुख मारोती किरण बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681 और धनंजय चटर्जी उर्फ धना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 एससीसी 220 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गुप्त रूप से किए गए अपराध के मामले में, ऐसे स्थानों पर मौजूद व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का दायित्व है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं हैं कि कृत्य/अपराध अपीलकर्ताओं की उपस्थिति में गुप्त रूप से किया गया है और अपीलकर्ताओं को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार स्पष्टीकरण साबित करना/प्रस्तुत करना आवश्यक है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई और उसकी गर्दन पर मृत्यु-पूर्व चोटें कैसे आईं। अभियोजन पक्ष ने अन्य परिस्थितियों को साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता और मृतका एक साथ रह रहे थे और उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को घर के अंदर मौजूद थे और मृतका की मृत्यु उसके द्वारा लगी मृत्यु-पूर्व घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई। अपीलकर्ता की ओर से किसी स्पष्टीकरण के अभाव में, केवल यह अनुमान लगाना संभव होगा कि अपीलकर्ता ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध किया है और मृतका की मृत्यु का कारण बने हैं और अपीलकर्ताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने मृतका को चोटें नहीं पहुंचाई हैं। अभिलेख पर

उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

18.अभिलेख में उपलब्ध सामग्री की गहन जाँच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या विकृतता नहीं मिली जिसके लिए हमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो। अतः, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

19.परिणामस्वरूप, अपील में कोई दम नहीं होने के कारण उसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Mamta Mahilange